कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ओम साईं एक्सप्लोसिव, 171 / 2, छनियापुरा, झाँसी।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**029 /2015, 12.10.2015**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री ओम साईं एक्सप्लोसिव, 171 / 2, छनियापुरा, झाँसी द्वारा दिनांक 12.10.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि ब्लास्टिंग का कार्य करने में NITRATE MIXTURE SAFETY FUSE DETONATING FUSE ELECTRIC AND ORDINARY DETENATER का प्रयोग किया जाता है। उक्त कार्य संविदा के आधार पर समाधान योजना का विकल्प अपना सकता है या नहीं।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 08.11.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झाँसी जोन झाँसी के पत्र संख्या-2420, दिनांक 07.12.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी का यह कहना है कि उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प अपनाया जा सकता है-इस सम्बन्ध में निवेदन है कि व्यापारी का कार्य ब्लास्टिंग का है, जिसके लिए शासन द्वारा अभी तक कोई समाधान योजना नहीं लायी गयी है। व्यापारी का कार्य न तो अविभाजित सिविल संविदा के अन्तर्गत आता है और न ही विद्युत संविदा की श्रेणी में आता है।

ब्लास्टिंग में प्रयुक्त होने वाला माल कार्य संविदा के रूप में अनुबन्ध के आधार पर किया जाता है-इस सम्बन्ध में निवेदन है कि संविदा के रूप में अनुबन्ध के आधार पर ब्लास्टिंग किये जाने के फलस्वरूप कर की दर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के नियम-9 (1) अथवा 9 (2) के अन्तर्गत रहेगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा NITRATE MIXTURE SAFETY FUSE DETONATING FUSE ELECTRIC AND ORDINARY DETENATER का प्रयोग करते हुए ब्लास्टिंग का कार्य किया जाना बताया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा पूछा गया है कि कार्य संविदा के आधार पर समाधान योजना का विकल्प अपना सकता है या नहीं। कोई संव्यवहार विशेष कार्य संविदा की श्रेणी में आयेगा अथवा बिक्री की श्रेणी में इसका विनिश्चय अनुबन्ध की शर्तों एवं अन्य विभिन्न कारकों पर आधारित होता है जिसका विनिश्चय कर निर्धारण की प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सभी कारकों का परीक्षण करके ही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा न तो अनुबन्ध की कोई प्रति प्रेषित की गयी है और न ही भुगतान आदि की शर्तों को स्पष्ट किया गया है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,

....2

<u>सर्वश्री ओम साईं एक्सप्लोसिव / प्रा0 पत्र सं0-029 / 15 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

वाणिज्य कर, झॉसी जोन झॉसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । कोई संव्यवहार विशेष कार्य संविदा है अथवा बिक्री इसका विनिश्चय अनुबन्ध की शर्तों एवं अन्य कारकों पर निर्भर करता है । प्रार्थी द्वारा न तो अनुबन्ध की कोई प्रति प्रेषित की गयी है और न ही भुगतान आदि की शर्तों को स्पष्ट किया गया है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 / 24.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।